राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3419/2023

शिव कुमार सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सी–स्कीम स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : अपीलार्थी शिव कुमार सिंह स्वयं उपस्थित।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अति. प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 06.04.2023 के द्वारा पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति पद पर पदस्थापन हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विकल्प मांगे गये थे, जिस पर अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर वांछित पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा मुख्यालय को दिया था, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 23.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण दिये गये विकल्प के स्थान पर नहीं कर बीसीएमओ, लालसोट जिला दौसा स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश में कुल 103 कार्मिकों की पदोन्नति पर पदस्थापन किया गया, जिसमें से अधिकांश व्यक्तियों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर किया गया और अपीलार्थी के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया। अपीलार्थी को उसके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर पदस्थापित नहीं किया गया, जो उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेता है। केवलमात्र विकल्प पत्र दिये जाने के आधार पर अपीलार्थी को यह अधिकार उत्पन्न नहीं होता है कि वह विकल्प पत्र वाले स्थान पदस्थापन प्राप्त करने का अधिकारी है।

`

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

5. उपरोक्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)